छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत।

तथा

लक्ष्मी फिशरीज़, ककरोई, सोनीपत

के बीच

मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए

समझौता ज्ञापन

CHHOTU RAM ARYA COLLEGE SONEPAT

Laxmi Fishries
VPO- Kakroi Road,
Sonepat-131001

छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत।

तथा

लक्ष्मी फिशरीज, ककरोई, सोनीपत

के बीच

मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग के लिए

समझौता ज्ञापन

दिनांक 19 जून 2022 को सोनीपत में हस्ताक्षर किए गए

इसमें छोटूराम आर्य महाविद्यालय, सोनीपत द्वारा किया जाए और एतद्पश्चात इसे 'प्रथम पक्षकार' के रुप में कहा जाए और इसमें **लक्ष्मी फिशरीज, ककरोई, सोनीपत** द्वारा किया जाए और एतदपश्चात इसे 'द्वितीय पक्षकार' के रुप में कहा जाए।

इसमें दोनों पक्षकारों को संयुक्त रुप से 'दो पक्षकार' कहा जाए।

दोनों पक्षों के लिए **मत्स्य पालन** का महत्व पहचानते हुए तथा संयुक्त सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने तथा **मत्स्य पालन** में मैत्रीपूर्ण सहयोग और तकनीकी ज्ञान के आदान–प्रदान को बढावा देने के लिए तथा समानता, पारस्परिकता औा सम्मान के सिद्धान्तों के आधार पर पारस्परिक परामर्श के पश्चात दोनों पक्षकार निम्नलिखित के लिए सहमत हुए हैं:–

अनुच्छेद–1 : इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य

दोनों पक्षकारों का लक्ष्य अपने–अपने हितों के कृषि के **मत्स्य पालन** क्षेत्र में सहयोग के लिए साझा ढांचा तैयार करना है जिसमें **मत्स्य पालन** का संवदर्धन और विस्तार, प्रसंस्करण तथा **मत्स्य पालन** की आधुनिक पद्धतियों में विज्ञान, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरण शामिल है।

अनुच्छेद–2 सहयोग की संभावना

दोनों पक्ष **मत्स्य पालन** और इससे संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के लिए सहमत हुएः

Laxmi Fisheries
VPO- Kakroi Road,
Sonepat-131001

क) सापेक्षिक अध्ययन करनें के अलावा कीट नियंत्रण, रोग निवारण की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी का आदान–प्रदान।

ख) वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी और संबंधित विशेषज्ञता–अर्थात् नवीनतम प्रौद्योगिकी, **मत्स्य पालन** व इस में उपचारित जल का उपयोग करने का आदान–प्रदान।

ग) **मत्स्य** उत्पाद प्रसंस्करण में सहयोग करना।

ध) पारस्परिक रुप से स्वीकार्य उद्यमों की स्थापना के माध्यम से विशेष रुप से **मत्स्य पालन** और संबंधित उप उत्पाद में परस्परिक व्यापार के आदान–प्रदान को बढावा देना।

ड) साझा हित के विषयों पर सेमीनार, कार्यशाला व प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

च) पारस्परिक सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिस पर दोनों पक्षकार सहमत हो।

अनुच्छेद–3 प्रयोग

दोनों पक्षकार निम्नलिखित के लिये सहमत हुए हैं–

(क) पारस्परिक सहयोग के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को परिभाषित करना और कार्य योजनाएँ, संबंधित स्कीम व परियोजनाएँ तैयार करना।

(ख) दोनों पक्षकारों द्वारा विधिवत अनुमोदित नियोजित सहयोग की स्कीमों के अनुपालन में सहयोग और आदान–प्रदान के दौरों की परियोजनाओं का निष्पादन करना।

अनुच्छेद–4: बौद्धिक संपदा अधिकार

बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधी मुद्दे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अधिशासित किए जाएंगे:

1. प्रत्येक पक्षकार अपने कानूनों, नियमों व विनियमों जिनके प्रति दोनों पक्षकार वचनबद्ध हैं, के अनुसार समझौता ज्ञापन के अनुसरण में सहयोग से सृजित बौद्धिक संपदा अधिकार का उचित रुप से संरक्षण सुनिश्चित करेगा।

प्रकाशन :

Laxmi Fisheries
VPO- Kakroi Road,
Sonepat-131001

इस समझौता ज्ञापन की एक मूल प्रति (हिन्दी भाषा), सभी समान रुप से प्रामाणिक, पर दिनांक 19 जून 2022 को सोनीपत में हस्ताक्षर किए गए। निर्वचन में किसी प्रकार का विवाद होने पर हिन्दी पाठ को ही प्रभावी माना जाएगा।

प्राचार्य छोटू राम आर्य कालेज सोनीपत	**लक्ष्मी फिशरीज** गांव ककरोई सोनीपत